(c) whether any power cut has been imposed in Orissa for want of coal or gas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Requirement of coal by the thermal power station of Orissa, viz. Talcher, as per generation target of 1300 million units during the year 1992-93 is 1118000 tonnes. Linkage for the year 1991-92 was 1140000 tonnes and for the year 1992-93 it is 1200000 tonnes.

There is no gas based power plant in Orissa.

(c) Does not arise as no generation loss for want of coal has been reported by the State Electricity Board.

Non-settlement of dues on account of Coal by Power Projects

2632. SHRI SIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the power projects have been put into financial crisis due to non-settlement of "excess payment" claims by the coal companies on coal supply under Cash and Carry Scheme;

(b) whether it is also a fact that there is a tussle going on between the Ministries of Power and Coal on this issue; and

(c) if so, what action is being taken by Government to overcome the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Power Stations have reported delay in adjustment of advance payments in excess of final bill based on actual quantity and quality of coal received. There has also been disputes about the quality of coal received and procedure of joint sampling of coal.

(c) Planning Commission has set up a Committee to look into the problems.

विद्युत के पारेषण और वितरण में हानि का उच्च प्रतिशत

2633. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली विद्युत हानि को घटाने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद हानि प्रतिशत अभी भी 23 प्रतिशत बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और हानि प्रतिशत अभी भी 23 प्रतिशत बने रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) यह एक तथ्य है कि देश में पारेषण तथा वितरण हानियां लगभग 23 प्रतिशत हैं । विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों के सम्बन्ध में हानियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।**(निचे देखिए)**

विभिन्न यूटिलिटियां द्वारा विद्युत वितरण के क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश किए जाने तथा बिजली की चोरी आदि के फलस्वरूप पारेषण तथा वितरण हानियों को अपेक्षित स्तर तक कम नहीं किया जा सका है ।

(ग) और (घ) सरकार इस समस्या की गम्भीरता को समझती है तथा राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों को समय-समय पर प्रणाली में सुधार करने/वितरण स्कीमों को प्राथमिकता दिए जाने तथा ऊर्जा की चोरी जिसे एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है, को रोकने के लिए

प्रभावी प्रशासनिक उपाय करने की सलाह दी गई है ।

पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किए जाने हेतु उठाए गए अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ भारी हानियों के लिए प्रणाली में उत्तरदायी घटकों का पता लगाए जाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करना, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम चलाना शामिल है ।

विवरण

रा०वि० बोर्डों/विद्युत विभागों में पारेषण, पारेषण तथा वितरण हानियों, (चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित) की प्रतिशतता

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग	1989–90	1990–91	1991–92
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	29.35	27.49	27.28
	हिमाचल प्रदेश	21.36	21.45	18.07
	जम्मू व कश्मीर	50.04	42.33	48.75
	पंजाब	17.62	18.97	18.70
	राजस्थान	25.41	25.92	22.71
	उत्तर प्रदेश	27.12	26.93	25.26
	चंडीगढ़	24.10	23.72	17.93
	डेसू	23.60	23.86	22.30
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	22.11	23.71	22.70
	मध्य प्रदेश	20.58	17.66	18.40
	महाराष्ट्र	16.37	18.06	18.16
	दादर और नगर हवेली	11.44	17.69	19.00
	गोवा	24.23	24.97	18.98
	दमन और दीव	16.56	16.85	15.66
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	20.96	22.43	19.31
	कर्नाटक	21.28	20.11	18.91
	केरल	20.63	21.67	21.00
	तमिलनाडु	17.19	18.74	18.21
	लक्षद्वीप	11.90	18.62	17.44
	पांडिचेरी	18.55	19.20	16.22

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग	1989–90	1990–91	1991–92
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	24.36	21.09	20.00
	उड़ीसा	27.72	25.29	24.00
	सिक्किम	23.36	24.53	22.57
	पश्चिम बंगाल	24.16	21.81	23.84
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.19	19.83	21.66
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम	25.12	24.10	25.00
	मणिपुर	30.26	28.02	22.00
	मेघालय	11.73	11.80	11.49
	नागालैंड	21.46	26.08	30.00
	त्रिपुरा	29.03	29.59	29.00
	अरुणाचल प्रदेश	22.29	19.99	27.56
	मिजोरम	32.04	29.63	28.00
अखिल भारत (यूटिलिटीज)		23.28	22.89	22.92

मेघालय के संदर्भ में बिजली की पारेषण तथा वितरण संबंधी हानियां पड़ौसी राज्यों को ऊर्जा की वृहद् मात्रा में बिक्री किये जाने के कारण हैं।

Renovation and Modernisation of Power plants

2634. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what are the details of various power projects which have been identified for renovation and modernisation in the near future; and

(b) what is the percentage increase in the power production of the projects which were renovated and modernised during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The Renovation & Modernisation of 46 thermal power projects covering 203 thermal units aggregating to a total of 10,20,581 M.W. at an estimated cost of Rs. 1,610 crores and 54 hydro-electric projects covering 211 units with a total installed capacity of 9,636 M.W. at an estimated cost of Rs. 1,241 crores have been identified.

(b) The average percentage increase during the last three years in the power production of thermal power station numbering 34 which were taken up for renovation & modernisation is 4 per cent. In respect of hydro projects, 4 schemes under renovation & modernisation programme have been completed during the last three years yielding benefits of 11.57 per cent of additional output.